यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)

अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस के सम्बंध में सार्वजनिक सूचना-13 (2) सरफेसी नोटिस

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
विकास नगर, बी–1/2/3, पिकनिक स्पॉट रोड, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
केन्द्रीय कार्यालय: 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पांइट, मुम्बई–400 021

1.ऋणी:1क) श्री अविनाश गुप्ता पुत्र श्री अरुण कुमार गुप्ता, पता: 643एम/834ए मोहिबुल्लापुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226022
1ख) श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री अरुण कुमार गुप्ता, पता: 643एम/834ए मोहिबुल्लापुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226022
2. जमानतकर्ता: 2क) श्री हरिशंकर मिश्रा पुत्र श्री सीताराम मिश्रा, पता:–मकान नंबर 96/बी, दिग्विजा, पी.एस.गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के पठित अनुच्छेद 13(2) के अन्तर्गत **विकास नगर शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आपको आपके ऋण खाते में बकाया चुकता करने के लिए दिनांक **04.02.2025** को मांग सूचना भेजी गयी थी और ये नोटिस बिना सुपुर्दगी के वापस आयी। इसलिए उक्त मांग सूचना के विवरण को इस समाचार पत्र में प्रकाशित की जा रही है।

आपके द्वारा लिए गये क्रेडिट सुविधाओं/ऋण सुविधाओं को **01.05.2021** को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपने सुविधाओं का लाभ उठाते के लिए ऋण दस्तावेज निष्पादित किए हैं और बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित के रूप मे सृजित किए हैं। ऋण सुविधाओं और सुरक्षित आस्तियों का विवरण इस प्रकार है:

प्राप्त क्रेडिट सुविधाएं में दिनांक **31.01.2025 को कुल बकाया राशि रु. 10,16,129.17 (रूपये दस लाख सोलह हजार एक सौ उनतीस व पैसे सत्रह मात्र) साथ मे दिनाँक 01.02.2025 से संविदात्मक दर से ब्याज एवं अन्य व्यय**

साम्यिक बंधक भूमि व भवन स्थित प्लॉट संख्या 5ए, खसरा संख्या 67 मिन जुमला, मोहिबुल्लापुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, **क्षेत्रफल 1600.00 वर्ग फीट, स्वामित्व स्व. श्री अरुण कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री बाबू लाल और श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री अरुण कुमार गुप्ता, चौहद्दी:– पूर्व**– प्लॉट संख्या– 4, **पश्चिम**– सड़क 15.00 फीट चौड़ी, **उत्तर**– प्लॉट संख्या 5– बी, **दक्षिण**– अन्य का प्लॉट।

इसलिए, उपरोक्त नोटिस के संदर्भ में आपको, **1क. श्री अविनाश गुप्ता पुत्र श्री अरुण कुमार गुप्ता और 1ख. श्रीमती सुमन देवी पत्नी श्री अरुण कुमार गुप्ता ऋणी और 2क. श्री हरिशंकर मिश्र पुत्र श्री सीताराम मिश्र जमानतकता** को सलाह दी जाती है कि आप इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के अन्दर बकाया धनराशि **रु. 10,16,129.17 (रूपये दस लाख सोलह हजार एक सौ उनतीस व पैसे सत्रह मात्र)** साथ में संविदात्मक दर से ब्याज एवं अन्य व्यय का भुगतान कर दें। इसका अनुपालन करने में आपके असफल होने पर, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग सुरक्षित लेनदार कर सकता है। अधिनियम 13(13) के अन्तर्गत इस नोटिस की प्राप्ति पर आपको बैंक की सहमति के बिना सम्पत्तियों से किसी प्रकार का क्रय–विक्रय व अन्तरण अवैध होगा। आपका ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

भवदीय.

दिनांक: 18.03.2025, स्थान: लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम
Union Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)

अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस के सम्बंध में सार्वजनिक सूचना-13 (2) सरफेसी नोटिस

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बापू भवन शाखा,16 विधान सभा मार्ग, बापू भवन के सामने, लखनऊ उत्तर प्रदेश–226001
केन्द्रीय कार्यालय: 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पांइट, मुम्बई–400 021

1.ऋणी–:1क) श्रीमती मोनिका शर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार शर्मा, पता: सेक्टर–एफ, 3599 राजाजीपुरम, लखनऊ–226017, उत्तर प्रदेश और पता: मकान नंबर बीएल–1/17 प्लॉट नंबर–94, खसरा नंबर 48/2 लकड़मंडी, सआदतगंज, कैंपवेल रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226003 और पता: 4/22 बालागंज, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226001
1ख) श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री चंदे लाल, पता: मकान नंबर बीएल–1/17 प्लॉट नंबर–94, खसरा नंबर 48/2 लकड़मंडी का हिस्सा, सआदतगंज, कैंपवेल रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226003 और पता: 4/22 बालागंज, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226001
2. जमानतकर्ता:–2क. श्री जमाल अहमद खान पुत्र स्व. मोहम्मद मुस्तफा, पता: 291/166, डायर बाज़ार, यहियागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226005

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत प्रतिभूतिहित नियम 2002 के पठित अनुच्छेद 13(2) के अन्तर्गत **बापू भवन शाखा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आपको आपके ऋण खाते में बकाया चुकता करने के लिए दिनांक **19.02.2025** को मांग सूचना भेजी गयी थी और ये नोटिस बिना सुपुर्दगी के वापस आयी। इसलिए उक्त मांग सूचना के विवरण को इस समाचार पत्र में प्रकाशित की जा रही है।

आपके द्वारा लिए गये क्रेडिट सुविधाओं/ऋण सुविधाओं को **22.09.2024** को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपने सुविधाओं का लाभ उठाते के लिए ऋण दस्तावेज निष्पादित किए हैं और बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित के रूप मे सृजित किए हैं। ऋण सुविधाओं और सुरक्षित आस्तियों का विवरण इस प्रकार है:

प्राप्त क्रेडिट सुविधाएं में दिनांक **31.01.2025** को **कुल बकाया राशि रु. 5,78,005.54 (रूपयें पांच लाख अठहत्तर हजार पांच व पैसे चौवन मात्र) साथ मे दिनाँक 01.02.2025 से संविदात्मक दर से ब्याज एवं अन्य व्यय**

साम्यिक बंधक भूमि व भवन स्थित प्लॉट नंबर 94, खसरा नंबर 48/2, लकड़मंडी, वार्ड– सआदतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, **संपत्ति के मालिक: श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री चंदे लाल, क्षेत्रफल– 83.643 वर्ग मीटर, चौहद्दी:–पूर्व:** प्लॉट नंबर 86, **पश्चिम:** 14.00 फीट चौड़ी सड़क, **उत्तर:** प्लॉट/मकान नंबर 93 मकान रामरती, **दक्षिण:** प्लॉट नंबर 96

इसलिए, उपरोक्त नोटिस के संदर्भ में आपको, **1क. श्रीमती मोनिका शर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार शर्मा और 1ख. श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री चंदे लाल ऋणी और 2. श्री जमाल अहमद खान पुत्र स्व. मोहम्मद मुस्तफा जमानतकर्ता** को सलाह दी जाती है कि आप इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के अन्दर बकाया धनराशि **रु. 5,78,005.54 (रूपयें पांच लाख अठहत्तर हजार पांच व पैसे चौवन मात्र)** साथ में संविदात्मक दर से ब्याज एवं अन्य व्यय का भुगतान कर दें। इसका अनुपालन करने में आपके असफल होने पर, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग सुरक्षित लेनदार कर सकता है। अधिनियम 13(13) के अन्तर्गत इस नोटिस की प्राप्ति पर आपको बैंक की सहमति के बिना सम्पत्तियों से किसी प्रकार का क्रय–विक्रय व अन्तरण अवैध होगा। आपका ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

भवदीय.

दिनांक: 18.03.2025, स्थान: लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

HDB FINANCIAL SERVICES

सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

पंजीकृत कार्यालय : ''राधिका'', द्वितीय तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात,
पिन कोड– 380009,
शाखा कार्यालय : एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, द्वितीय हरि कॉम्प्लेक्स, डी कॉरबिज होटल के पास, वेव मॉल के पीछे, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ– 226010

आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता और गारंटर ने अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड से ऋण वित्तीय सुविधा(यें) प्राप्त की हैं और उसका भुगतान करने में चूक की है। आपकी चूक के परिणामस्वरूप आपके ऋण को अ–निष्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद, कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना निर्गत की है, जिसकी विषय–वस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार तथा आप पर वैकल्पिक सेवा के रूप में प्रकाशित की जा रही है। उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, ऋण खाता संख्या, ऋण राशि, धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि, सूचना में अभ्यर्थित राशि, एनपीए तिथि तथा प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है :–

1) उधारकर्ता / सह–उधारकर्ता / गारंटर का नाम तथा पता; 2) ऋण खाता संख्या; 3) ऋण राशि; 4) माँग सूचना की तिथि; 5) अभ्यर्थित राशि आईएनआर में; 6) प्रतिभूतियों के विवरण; 7) अधिग्रहण की तिथि

उधारकर्ता और सह–उधारकर्ताओं का नामः अभिषेक जैन 31/2–ए घुमनी बाजार कानपुर–208001 उत्तर प्रदेश अनिल कुमार जैन 31/2–ए घुमनी बाजार कानपुर–208001 उत्तर प्रदेश रश्मि जैन 34/2–ए घुमनी मोहाल कानपुर–208001 उत्तर प्रदेश **ऋण खाता संख्याः 1299927 : ऋण राशिः रु. 2507868/–** (पच्चीस लाख सात हजार आठ सौ अड़सठ रुपये मात्र) **ऋण खाता संख्या 1299927** द्वारा, **मांग नोटिस** दिनांकः 17.02.2025, दावा की गई राशि; रु.1363011.01/– (तेरह लाख तिरसठ हजार ग्यारह और एक पैसा मात्र) 12.02.2025 तक और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि। एनपीए तिथिः 02.02.2025: सुरक्षा का विवरणः प्रतिभूतियों की अनुसूची द्य मकान संख्या 31/2ए घुमनी बाजार कानपुर नागा का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर है।

उधारकर्ता और सह–उधारकर्ताओं का नामः सरिता गुप्ता 253/119 नेहरू क्रॉस रकाबगंज लखनऊ राजेंद्र नगर बख्शी का तालाब लखनऊ लखनऊ–226004 उत्तर प्रदेश और साथ ही खसरा संख्या 45 मिनट पर मकान निर्मित प्लॉट। कुंदरी रकाबगंज वार्ड कुंदरी रकाबगंज तहसील एवं जिला– लखनऊ लखनऊ–226003 रामजी गुप्ता 253/119 नेहरू क्रॉस लखनऊ राजेंद्र नगर लखनऊ–226004 उत्तर प्रदेश ऋण खाता संख्याः 6325720: ऋण राशिः रु. 2500000/– (पच्चीस लाख रुपये मात्र) ऋण **खाता संख्या 6325720** द्वारा, मांग सूचना दिनांकः 17.02.2025, दावा की गई राशिः रु.1609123.26/– (सोलह लाख नौ हजार एक सौ तेईस तथा छब्बीस पैसे मात्र) 12.02.2025 तक और वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि। एनपीए दिनांक 02.02.2025: **प्रतिभूतियों का विवरणः** प्रतिभूतियों की अनुसूची ।, वह सब टुकड़ा और कुंडारी में स्थित खसरा नंबर 45 मिनट पर 684 वर्ग फीट पर निर्मित घर का पार्सल रकाबगंज, वार्ड कुंडरी रकाबगंज, तहसील और जिला लखनऊ, सीमा – उत्तरः खसरा नंबर 45 का हिस्सा उसके बाद नहर, दक्षिणः 8 फीट चौड़ी गली उसके बाद लल्लन का घर, **पूर्वः** श्री संतोष का घर, **पश्चिमः** श्रीमती शोभा की भूमि।

उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता का नामः नगरिया स्टील्स 22 गोपाल नीखरा झानसी–284002 उत्तर प्रदेश और मौजा गोपाल नीखरा में स्थित एक आवासीय मकान नंबर 21 नया नंबर 22 भी माप 5700 वर्ग फुट झांसी–284002 और साथ ही 24 गोपाल नीखरा झाँसी–284002 उत्तर प्रदेश अनिल कुमार नगरिया 22 गोपाल नीखरा गोला कुआ नियर जगन्नाथ मंदिर झाँसी उत्तर प्रदेश– 284002 साधना नगरिया एचएन 21 गोपाल नीखरा आर्य समाज मंदिर के पास झाँसी उत्तर प्रदेश–284002 सूर्य नगरिया 21 गोपाल नीखरा गोला कुआ के पास झाँसी झाँसी उत्तर प्रदेश– 284002 अनिल कुमार नगरिया 24 मोहल्ला गोपाल नीखरा झानसी झानसी–284001 उत्तर प्रदेश सूर्य नगरिया 24 मुहल्ला गोपाल किराना झाँसी झाँसी–284001 उत्तर प्रदेश साधना नगरिया 24 मुहल्ला गोपाल निखरा झाँसी झाँसी–284001 उत्तर प्रदेश ऋण **खाता संख्याः 6597114, 14411049 : ऋण राशिः रु. 15350000/–** (रुपए एक करोड़ तिरेपन लाख पचास हजार मात्र) ऋण **खाता संख्या 6597114 द्वारा और रु. 2499999/–** (चौबीस लाख निन्यानबे हजार नौ सौ निन्यानबे मात्र) **ऋण खाता संख्या 14411049** द्वारा, मांग नोटिस **तिथिः 17.02.2025,** दावा की गई राशिः **रु.11841216.45** (रुपये एक करोड़ अट्ठारह लाख इकतालीस हजार दो सौ सोलह और पैंतालीस पैसे मात्र) 12.02.2025 तक और भविष्य का संविदात्मक ब्याज वास्तविक प्राप्ति तक आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ A **एनपीए तिथिः 02.02.2025:** सुरक्षा का विवरणः प्रतिभूतियों की अनुसूची A, मोहल्ला गोपाल नीखे ओ शहर, जिला जनसी में स्थित एक आवासीय मकान संख्या 21 नया नंबर 22 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, माप 5700 वर्ग फीट, सीमा– **उत्तर :** श्री सीताराम अग्रवाल का घर, **दक्षिणः** बृजकिशोर का घर, पूर्वः सड़क, पश्चिमः उपमार्ग।

उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता का नामः आसिफ अली एन–12/10 ए–1 बजरडीहा वाराणसी–221001 उत्तर प्रदेश एवं एस एम प्लॉट नंबर 472/2 मौजा ककरमत्ता वार्ड नगवा परगना देहात अमानत वाराणसी–221001 अशरफ अली एन–12/10 ए–1 बजरडीहा वाराणसी उत्तर प्रदेश– 221001 शबीना बेगम एन–12/10 ए–1 बजरडीहा वाराणसी उत्तर प्रदेश–221001 हैदर शबी एन–12/10 ए–1 बजरडीहा वाराणसी वाराणसी उत्तर प्रदेश– 221001 शमी हैदर एन–12/10ए–1 बजरडीहा वाराणसी वाराणसी उत्तर प्रदेश– 221001, **ऋण खाता संख्याः 18017661: ऋण राशिः ऋण खाता संख्या 18017661 द्वारा रु.2538431/–** (रुपये पच्चीस लाख अड़तीस हजार चार सौ इकतीस मात्र) मांग सूचना **दिनांकः 17.02.2025,** दावा की गई राशिः रु. 2437053.84/– (रुपये चौबीस लाख सैंतीस हजार तिरेपन तथा चौरासी पैसे मात्र) दिनांक 12.02.2025 तक तथा वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदागत ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि। एनपीए **दिनांक : 02.02.2025 : प्रतिभूति का विवरण :** प्रतिभूतियों की अनुसूची A, प्लाट संख्या 472/2 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, क्षेत्रफल 1360 वर्ग फीट, मौजा ककरमत्ता, वार्ड नगवा, परगना देहात अमानत, तहसील और जिला वाराणसी में स्थित है। सीमा, उत्तरः मोह. अजीम और अन्य की भूमि, दक्षिणः पलटू राम की भूमि, पूर्वः रवि प्रताप शाही की भूमि, पश्चिमः कमरुद्दीन और हलीम की 8 फीट चौड़ी गली टी/ए भूमि।

अतः आप, उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता और गारंटरों से अनुरोध है कि आप उपरोक्त उल्लिखित मांगी गई राशि का भुगतान इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित ब्याज सहित पूर्ण रूप से करें, अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता उपर्युक्त प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे।

(उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।)

कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपर्युक्त संदर्भित प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने से रोका जाता है और अधिनियम की धारा 13(13) का कोई भी अ–अनुपालन उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय है।

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री अरुण यादव, फोन : 9350538386 / श्री विकास आनंद (9711010384) से संपर्क करें।

स्थान : लखनऊ — **हस्ता./– कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड,**
दिनाँक : 18/03/2025 — **प्राधिकृत अधिकारी**

INDIAN EXPRESS GROUP
THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS
KNOWLEDGE
FINANCIAL EXPRESS
Read to Lead

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेड

(भारतीय रिजर्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)
पो.ऑ. आरबीएनएमएल, शालबनी–721132, पश्चिम मेदिनीपुर जिला, पश्चिम बंगाल
दूरभाष : 03227-280176 / 280317; फैक्स: 03227-280744 / 280222

खुली निविदा पूछताछ (ओटीई)/राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (एनसीबी)

निम्नलिखित ई–निविदा के लिए एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से दो भाग बोली प्रणाली के तहत बोली आमंत्रित की जाती है:–

1. बीआरबीएनएमपीएल, शालबनी में मौजूदा वनरोपण, बागवानी और संबद्ध कार्यों का रखरखाव; एमएसटीसी इवेंट नं. बीआरबीएनएमपीएल/शालबनी प्रेस/एमएमडी/52/24–25/ईटी/98 [वनरोपण का रखरखाव]; बीआरबीएनएमपीएल निविदा संख्या 029/एमएमडी–सिविल/2024–25; [अनुमानित लागत– ₹197.91 लाख]।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: **22.04.2025 11:00 बजे** तक है। निविदा दस्तावेज और अन्य विवरण डाउनलोड करने के लिए कृपया वेबसाइट **www.mstcecommerce.com** पर जाएँ। निविदा विवरण हमारी वेबसाइट **www.brbnmpl.co.in** पर भी उपलब्ध है। आगे कोई विस्तार या संशोधन होने पर, उपरोक्त वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा।

वरिष्ठ महाप्रबंधक

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3(1) के साथ पठित। उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 2 के साथ पठित, **आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)** के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत माँग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता(ओं) से उन्हें जारी किए गए संबंधित माँग नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने का आह्वान किया गया है। उपरोक्त के संबंध में, ऋणी को एक बार फिर नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे दर्शाई गई राशि को माँग नोटिस की तारीख से भुगतान की तारीख तक ब्याज सहित अदा करें। ऋणी का विवरण, माँग नोटिस की तारीख तक देय राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए दी गई सुरक्षा निम्नानुसार है :–

ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम	माँग सूचना तिथि एवं राषि	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
सुश्री नेहा गुप्ता श्रीमती सुनीता गुप्ता (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10078373)	11/03/2025 रु. 23,07,029/– (रुपये तेईस लाख सात हजार उनतीस मात्र)	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो इस स्वरूप में है : फ्री होल्ड प्लॉट ए–1, ब्लॉक एच.आई.जी.–1, योजना सं. 40, बर्रा–6, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, 208027 का हिस्सा है। क्षेत्रफल (वर्ग फीट में) : संपत्ति का प्रकार : भूमि–क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल : 900.00

यदि उक्त उधारकर्ता आईआईएफएल एचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आईआईएफएल एचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ पूरी तरह से उधारकर्ताओं के जोखिम, लागत और परिणामों पर कार्यवाही कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से **शाखा कार्यालय : एससीओ–41पी, प्रथम तल, सेक्टर–7, मुख्य बाजार, करनाल–132001 / कॉर्पोरेट कार्यालय : आईआईएफएल टावर, प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, फेज–IV गुड़गांव, हरियाणा से संपर्क करें।**

स्थान : लखनऊ, दिनाँक : 18–03–2025 — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

दबावग्रस्त आस्ति प्रबन्धन शाखा

प्रथम तल, मुख्य शाखा भवन, हजरतगंज, लखनऊ–226001 फोन नं. 0522–2288988

विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने हेतु कारण बताओ नोटिस

खाता: मेसर्स सॉफ्ट लाइट मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी
शाखा: एसएएम शाखा लखनऊ, (मूल शाखा: (ई–एबी) इन्दिरा नगर)

सेवा में,

1. मेसर्स सॉफ्ट लाइट मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी –पता 639/072, अपूर्व विहार, मानस एन्क्लेव, सिटी इंटरनेशनल स्कूल के पास, इंदिरा नगर, लखनऊ – 226016

2. संतोष शर्मा (प्रोपराईटर) पुत्र रामस्वरूप शर्मा, निवासी–639/072, अपूर्व विहार, मानस एन्क्लेव, सिटी इंटरनेशनल स्कूल के पास, इंदिरा नगर, लखनऊ – 226016

प्रिय महोदय,

मेसर्स सॉफ्ट लाइट मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी ने हमारी इंदियारा नगर शाखा से ऋण सुविधाएं प्राप्त की हैं। खाता 29.06.2015 को एनपीए में बदल गया **एवं** 21.01.2025 तक कुल बकाया राशि 2.12 करोड़ रुपये है। उधारकर्ता फर्म **एवं** उसके प्रोप्राइटर द्वारा की गई चूक या कमीशन के कृत्यों, जिसके कारण खाता डिफॉल्ट हुआ, की जांच आरबीआई दिशानिर्देश (विलफुल डिफॉल्टर्स और बड़े डिफॉल्टर्स का उपचार) 2024 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विलफुल डिफॉल्टर पहचान समिति (WDIC)द्वारा 14.06.2023 को की गई। समिति ने प्रथम दृष्टया पाया कि अनियमितताएं/चूक विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत होने के मानदंडों को पूरा करती हैं और तदनुसार उधारकर्ता फर्म मेसर्स सॉफ्ट लाइट मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी एवं उसके प्रोप्राइटर श्री संतोष शर्मा को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी करने को मंजूरी दी। कारण बताओ नोटिस (SCN) विधिवत रूप से नीचे त्रि–स्तंभ तालिका में उल्लिखित विलफुल डिफॉल्ट के आधार को सूचित करते हुए, उधारकर्ता फर्म मेसर्स सॉफ्ट लाइट मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी और उसके प्रोपराइटर श्री संतोष शर्मा को दिनांक 08.09.2023 के पत्र के माध्यम से भेजा गया था कि उन्हें अपनी शिकायत/प्रस्तुति यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों का समय देकर "विलफुल डिफॉल्टर" के रूप में वर्गीकृत क्यों न किया जाए। SCN जारी करना एवं उसका जवाब– WDIC के दिनांक 14.06.2023 के निर्देश के अनुसार, उपरोक्त उधारकर्ता फर्म मेसर्स सॉफ्ट लाइट मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी एवं उसके प्रोपराइटर श्री संतोष शर्मा को दिनांक 08.09.2023 के पत्र के माध्यम से कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी किया गया था। SCN वितरित नहीं हो सका। कारण बताओ नोटिस के जवाब में SCN के खिलाफ उधारकर्ता फर्म एवं उसके प्रोपराइटर से कोई जवाब नहीं मिला। SCN की सेवा का परिणाम आगे के विचार–विमर्श के लिए WDIC को रखा गया था। **विलफुल डिफॉल्टर आइडेंटिफिकेशन कमेटी ने 09.01.2025 को बैठक की, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल थे**

1. श्री अशोक पटनायक, मुख्य महाप्रबंधक, अध्यक्ष
2. श्री हिमांशु कंसल, महाप्रबंधक, सदस्य
3. श्री एस सेंथिल कुमार, महाप्रबंधक, सदस्य
4. श्री अमित चौधरी, महाप्रबंधक, सदस्य

विलफुल डिफॉल्टर आइडेंटिफिकेशन कमेटी ने दर्ज किया कि 08.09.2023 को कारण बताओ नोटिस (SCN) उधारकर्ता फर्म मेसर्स सॉफ्ट लाइट मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी एवं इसके प्रोपराइटर श्री संतोष शर्मा को शाखा प्रबंधक एसएएम लखनऊ द्वारा जारी किया गया था एवं सभी नोटिस ट्रैकिंग विवरण रिपोर्ट के अनुसार वितरित नहीं किए गए थे। नोटिस दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए गए थे। उधारकर्ता फर्म मेसर्स सॉफ्ट लाइट मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी एवं इसके मालिक श्री संतोष शर्मा ने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया। चूंकि उधारकर्ता फर्म मेसर्स सॉफ्ट लाइट मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी एवं इसके मालिक श्री संतोष शर्मा ने जवाब नहीं दिया है, इससे यह संकेत मिलता है कि वे उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित न करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने में रुचि नहीं रखते हैं और यह कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों को स्वीकार करने के बराबर है। कारण बताओ नोटिस के आरोपों का विवरण नीचे दिया गया है–

भारतीय रिजर्व बैंक के पैरा 3 (1)(टी) का प्रासंगिक खंड (जानबूझकर चूक करने वालों और बड़े चूककर्ताओं का उपचार) ,निर्देश, 2024	जानबूझकर चूक करने का साक्ष्य जिसमें उधारकर्ता/प्रमोटर/निदेशक/जमानतकर्ता द्वारा जानबूझकर चूक करने या करने के कृत्यों का खुलासा किया गया हो, ताकि उसे जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।	उधारकर्ता कंपनी, उसके प्रमोटर/निदेशक एवं जमानतकर्ता की प्रस्तुतियाँ	सबमिशन स्वीकार्य/अस्वीकार्य कारणों के साथ
निधियों का गबन– इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है एवं निधियों का गबन किया है, जिससे निधियों का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए वित्त का लाभ उठाया गया था, **और न ही इकाई के पास अन्य परिसंपत्तियों के रूप में निधियाँ उपलब्ध हैं।**	दिनांक 06.10.2014 के अंतिम स्टॉक विवरण के अनुसार कुल स्टॉक 83.23 लाख रुपये का था। 12.06.2018 को बैंक अधिकारियों के दौरे के दौरान इकाई बंद पाई गई और स्टॉक उपलब्ध नहीं था। 06.10.2014 से खाते में 6.14 लाख रुपये का कारोबार है। इसलिए उधारकर्ता ने धन की हेराफेरी की। उपर्युक्त से, यह स्पष्ट है कि उधारकर्ता ने धन की हेराफेरी की है, ताकि धन का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए न किया जा सके, जिसके लिए वित्त का लाभ उठाया गया था। इसके अलावा, हमारे बैंक से सीसी सीमा का लाभ उठाने के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत शीर्षक विलेख भी कॉर्पोरेशन बैंक के पास बंधक है। इस प्रकार तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके, उधारकर्ता ऋण प्राप्त करने में कामयाब रहा, जिसे अंततः हेराफेरी कर दिया गया।	उधारकर्ता से कोई उत्तर नहीं मिला	चूंकि उधारकर्ता से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए यह कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों की स्वीकृति के समान है

इसके बाद, उचित विचार–विमर्श एवं अभिलेखों को देखने के बाद, विलफुल डिफॉल्टर पहचान समिति ने सर्वसम्मति से उधारकर्ता फर्म मेसर्स सॉफ्ट लाइट मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी एवं उसके प्रोपराइटर श्री संतोष शर्मा को आरबीआई मास्टर सर्कुलर (विलफुल डिफॉल्टर्स और बड़े डिफॉल्टर्स का उपचार) 2024 के तहत फंड्स के साइफनिंग क्लॉज के तहत विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने को मंजूरी दे दी है। उपरोक्त के मद्देनजर, हम आपको WDIC द्वारा आप सभी को "विलफुल डिफॉल्टर" के रूप में वर्गीकृत करने के लिए लिए गए निर्णय से अवगत कराते हैं। WDIC के इस निर्णय की समीक्षा/पुष्टि आरबीआई परिपत्र के तहत गठित WDRC द्वारा की जानी है जिसमें कार्यकारी निदेशक एवं 2 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक शामिल होंगे। WDRC उधारकर्ता फर्म मेसर्स सॉफ्ट लाइट मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी एवं उसके प्रोपराइटर श्री संतोष शर्मा को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। यदि उधारकर्ता फर्म मेसर्स सॉफ्ट लाइट मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी एवं इसके प्रोपराइटर श्री संतोष शर्मा इस निर्णय से व्यथित हैं, तो वे इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर बैंक की विलफुल डिफॉल्टर समीक्षा समिति (WDRC) के समक्ष लिखित रूप में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अपना प्रतिनिधित्व/अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई प्रतिनिधित्व/व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि आप व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का लाभ उठाने में रुचि नहीं रखते हैं या यदि WDRC आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या लिखित रूप में किए गए प्रतिनिधित्व/प्रस्तुति से संतुष्ट नहीं है (जैसा भी मामला हो), तो बैंक का WDRC आपको विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा एवं WDRC द्वारा इस तरह के वर्गीकरण पर, आपकी तस्वीर प्रकाशित की जाएगी एवं आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आपका नाम विलफुल डिफॉल्टर के रूप में आरबीआई, सीआईबीआईएल एवं अन्य क्रेडिट सूचना कंपनियों को सूचित किया जाएगा एवं बैंक लागू कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। यह सूचना बैंक की विलफुल डिफॉल्टर पहचान समिति के अनुमोदन से जारी किया गया है।

मुख्य प्रबंधक
दबावग्रस्त आस्ति प्रबन्धन शाखा
विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी (WDSC) के लिए

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 501, सॉलकन ऑरम, जसोला जनपद केन्द्र, नई दिल्ली– 110025
सीआईएन : यू65900डीएल2020पीएलसी366027

नीलामी सूचना

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित ऋणकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा बैंक से प्राप्त किए गए स्वर्ण ऋण / ऋणानेक जो हैं वे बैंक द्वारा निर्गत व्यक्तिगत सूचनाओं सहित अनेक नोटिसों एवं सूचनाओं के बाद भी उनके द्वारा समायोजित नहीं किये गये हैं। समस्त ऋणकर्ताओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में रखे गये स्वर्णाभूषणों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है तथा तदनुसार 27 मार्च 2025 को अप. 03.00 बजे उन शाखा परिसरों में नीलामी की तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है जहां से ऋण प्राप्त किया गया था / किये गये थे। ऋणकर्ताओं सहित समस्त सर्वसाधारण, खाताधारक और जनसाधारण नीलामी के नियमों एवं शर्तों के अनुसार इस नीलामी में प्रतिभागिता कर सकते हैं।

क्र. सं.	शाखा	खाता संख्या	खाताधारक का नाम	पिता / पति–पत्नी का नाम	पता	खाता खोलने की तिथि	पेऑफ
1.	आलमबाग	102342510379	लक्ष्मी देवी	पुत्र मनोज कुमार	588/655–ए1, भडरुख बांगला बाजार, कैंटोनमेंट लखऊ उत्तर प्रदेश 226002	16-05-2024	39,743.60
2.	इंदिरापुरम	101942517974	तबस्सुम रिहाना	पुत्र हबीब खान	एम.एन. 12, मोहल्ला शाह गदा अली, इटावा उत्तर प्रदेश–206001	15-06-2024	1,91,959.05

नीलामी तिथि 27 मार्च 2025 को अप. 03.00 बजे है

बैंक के पास बिना कोई पूर्व सूचना दिये नीलामी से किसी भी खाता को समाप्त करने अथवा नीलामी निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (ए)	गिरवी संपत्ति(यों) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (रु.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLLKN00524564 1. शशि भूषण कुमार सिंह 2. आकांक्षा तिवारी 3. एकेजी पावर केयर प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर)	मकान नंबर–7, खसरा नंबर–294 के भाग पर निर्मित है, ग्राम- खरगापुर, परगना, साई एन्क्लेव विजय नगर, लखनऊ–226010, उत्तर प्रदेश।	03.02.2025	रु. 34,94,662.82/- (रुपए चौंतीस लाख चौरानवे हजार छह सौ बासठ और बयासी पैसे मात्र) 21.02.2025 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता''

सरफेसी अधिनियमन की धारा 13 की उप–धारा (13) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित हैं।

कृते सम्मान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
स्थान : लखनऊ — प्राधिकृत अधिकारी

नोट : हमारा स्वमान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से कोई संबंध नहीं है।

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

दबावग्रस्त आस्ति प्रबन्धन शाखा

प्रथम तल, मुख्य शाखा भवन, हजरतगंज, लखनऊ–226001 फोन नं. 0522–2288988

विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने हेतु कारण बताओ नोटिस

खाता: मैसर्स. आर के ट्रेडिंग कंपनी
शाखा: एसएएम शाखा लखनऊ, (मूल शाखा: लिटरेसी हाउस लखनऊ (ई–एबी)

सेवा में,

1. मैसर्स. आर के ट्रेडिंग कंपनी (फर्म) म0नं0– 9999/205, गौरी बाजार, हीरा लाल यादव बालिका कॉलेज के पास सरोजिनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ – 226008
2. श्रीमती सीमा लोधी (साझेदार) – म0नं0–9999/205, गौरी बाजार, हीरा लाल यादव बालिका कॉलेज के पास सरोजनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ
3. श्री राज कुमार लोधी (साझेदार) – म0नं0–9999/205, गौरी बाजार, हीरा लाल यादव बालिका कॉलेज के पास सरोजिनी नगर, कानपुर रोड, लखनऊ – 226008

प्रिय महोदय,

मेसर्स आर के ट्रेडिंग कंपनी ने हमारे लिटरेसी हाउस लखनऊ शाखा से क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया है। खाता 30.03.2017 को एनपीए में बदल गया। **i)** मेसर्स आर के ट्रेडिंग कंपनी, **ii)** राज कुमार लोधी एवं सीमा लोधी में 21.01.2025 तक कुल बकाया राशि 1.95 करोड़ रुपये है। उधारकर्ता फर्म ,एवं उसके साझेदारों द्वारा की गई चूक या कमीशन के कार्य जो खाते को डिफॉल्ट की ओर ले जाते हैं, की जांच आरबीआई दिशानिर्देश (विलफुल डिफॉल्टर्स एवं बड़े डिफॉल्टर्स का उपचार) 2024 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विलफुल डिफॉल्टर पहचान समिति (WDIC) द्वारा 03.02.2024 को की गई थी। समिति ने प्रथम दृष्टया पाया कि अनियमितताएं/चूक विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत होने के मानदंडों को पूरा करती आर के ट्रेडिंग कंपनी एवं उसके भागीदार श्री राज कुमार लोधी, श्रीमती सीमा लोधी को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

नीचे तीन कॉलम वाली तालिका में उल्लिखित विलफुल डिफॉल्ट के आधार को विधिवत सूचित करते हुए कारण बताओ नोटिस (SCN) उधारकर्ता फर्म मेसर्स आर के ट्रेडिंग कंपनी एवं उसके भागीदार श्री राज कुमार लोधी, श्रीमती सीमा लोधी को दिनांक 30.09.2024 के पत्र के माध्यम से भेजा गया था कि उन्हें अपनी शिकायत/प्रस्तुति यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए 15 दिनों का समय देकर "विलफुल डिफॉल्टर" के रूप में वर्गीकृत क्यों न किया जाए।

SCN जारी करना एवं उसका जवाब– WDIC के दिनांक 03.02.2024 के निर्देशानुसार उपरोक्त उधारकर्ता फर्म मेसर्स आर के ट्रेडिंग कंपनी एवं उसके भागीदार श्री राज कुमार लोधी, श्रीमती सीमा लोधी को दिनांक 30.09.2024 के पत्र के माध्यम से कारण बताओ नोटिस (SCN)जारी किया गया था। कारण बताओ नोटिस के प्रत्युत्तर में ऋणी फर्म एवं उसके साझेदारों से SCN के विरूद्ध कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। SCN की तामील के परिणाम को आगे के विचार–विमर्श के लिए WDIC के समक्ष रखा गया। **विलफुल डिफॉल्टर पहचान समिति ने 09.01.2025 को बैठक की जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल थे**

1. श्री अशोक पटनायक, मुख्य महाप्रबंधक, अध्यक्ष
2. श्री हिमांशु कंसल, महाप्रबंधक, सदस्य
3. श्री एस सेंथिल कुमार, महाप्रबंधक, सदस्य
4. श्री अमित चौधरी, महाप्रबंधक, सदस्य

विलफुल डिफॉल्टर पहचान समिति ने दर्ज किया कि ऋणी फर्म मेसर्स आर के ट्रेडिंग कंपनी एवं उसके साझेदार श्री राज कुमार लोधी, श्रीमती सीमा लोधी को शाखा प्रबंधक एसएएम लखनऊ द्वारा कारण बताओ नोटिस (SCN) दिनांक 30.09.2024 जारी किया गया था और सभी नोटिस ट्रैकिंग विवरण रिपोर्ट के अनुसार वितरित किए गए थे। आर के ट्रेडिंग कंपनी एवं उसके भागीदार श्री राज कुमार लोधी, श्रीमती सीमा लोधी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया। चूंकि उधारकर्ता फर्म मेसर्स आर के ट्रेडिंग कंपनी एवं उसके भागीदार श्री राज कुमार लोधी, श्रीमती सीमा लोधी ने जवाब नहीं दिया है, इससे यह संकेत मिलता है कि वे उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित न करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने में रुचि नहीं रखते हैं एवं यह कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों को स्वीकार करने के बराबर है। कारण बताओ नोटिस के आरोपों का विवरण नीचे दिया गया है–

<table>
<tr><th>भारतीय रिजर्व बैंक के पैरा 3 (1)(टी) का प्रासंगिक खंड (जानबूझकर चूक करने वालों और बड़े चूककर्ताओं का उपचार) ,निर्देश, 2024</th><th>जानबूझकर चूक करने का साक्ष्य जिसमें उधारकर्ता/प्रमोटर/निदेशक/जमानतकर्ता द्वारा जानबूझकर चूक करने या करने के कृत्यों का खुलासा किया गया हो, ताकि उसे जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।</th><th>उधारकर्ता कंपनी, उसके प्रमोटर/निदेशक एवं जमानतकर्ता की प्रस्तुतियाँ</th><th>सबमिशन स्वीकार्य/अस्वीकार्य कारणों के साथ</th></tr>
<tr><td>जानबूझकर चूक के आधार– खण्ड – भुगतान करने की क्षमता लेकिन भुगतान करने की अनिच्छा–
इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है, भले ही उसके पास उक्त दायित्वों को पूरा करने की क्षमता हो।</td><td>भागीदारों की नेटवर्थ इस प्रकार है–
<table>
<tr><td>विवरण</td><td>03.03.13 एवं 04.03.13 को नेटवर्थ</td><td>व्यवसाय में निवेश नेटवर्थ के अनुसार</td><td>व्यवसाय में नेटवर्थ निवेश को छोड़कर</td></tr>
<tr><td>श्री राज कुमार लोधी</td><td>0.21</td><td>0.50 नेटवर्थ स्टॉक के रूप में 0.50 करोड़ एवं सीसी लिमिट के रूप में 0.40 करोड़ शामिल हैं</td><td>0.11</td></tr>
<tr><td>सुश्री सीमा लोधी</td><td>0.08</td><td>0.00</td><td>0.08</td></tr>
<tr><td>कुल नेटवर्थ</td><td>0.29</td><td>0.50</td><td>0.19</td></tr>
</table></td><td>उधारकर्ता से कोई उत्तर नहीं मिला</td><td>चूंकि उधारकर्ता से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए यह कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों की स्वीकृति के समान है</td></tr>
<tr><td>धारा– निधियों का गबन–
इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है और निधियों का गबन किया है, जिससे निधियों का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है जिसके लिए वित्त का लाभ उठाया गया था, और न ही इकाई के पास अन्य परिसंपत्तियों के रूप में निधियाँ उपलब्ध हैं।</td><td>एसएएम लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 30.11.2023 के माध्यम से सूचित किया कि मेसर्स आर.के. ट्रेडिंग कंपनी के दिनांक 01.11.2016 के स्टॉक स्टेटमेंट के अनुसार, 0.63 करोड़ रुपये के स्टॉक उपलब्ध थे। इसके अलावा, दिनांक 20.01.2017 की यूनिट विजिट रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया कि पर्याप्त स्टॉक नहीं मिला। साथ ही दिनांक 21.03.2017 की यूनिट विजिट रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया कि दुकान में केवल 20–25 लाख रुपये का स्टॉक था। 01.11.2016 से आज तक की अवधि के लिए ओसीसी खाते के विवरण से यह देखा गया कि खाते में कुल क्रेडिट टर्नओवर केवल 0.11 करोड़ रुपये था। इसलिए, यह देखा गया है कि उधारकर्ता ने स्टॉक बेच दिया है एवं बैंक को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है।</td><td>उधारकर्ता से कोई उत्तर नहीं मिला</td><td>चूंकि उधारकर्ता से कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए यह कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपो की स्वीकृति के समान है</td></tr>
</table>

इसके बाद, उचित विचार–विमर्श एवं रिकॉर्ड के आधार पर, विलफुल डिफॉल्टर पहचान समिति ने सर्वसम्मति से उधारकर्ता फर्म मेसर्स आर के ट्रेडिंग कंपनी एवं उसके पार्टनर श्री राज कुमार लोधी, श्रीमती सीमा लोधी को आरबीआई मास्टर सर्कुलर (विलफुल डिफॉल्टर्स और बड़े डिफॉल्टर्स का उपचार) 2024 के खंड भुगतान करने की क्षमता लेकिन भुगतान करने के लिए अनिच्छुक एवं धन की हेराफेरी के तहत विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने की मंजूरी दे दी है। उपरोक्त के मद्देनजर, हम आपको WDIC द्वारा आप सभी को "विलफुल डिफॉल्टर" के रूप में वर्गीकृत करने के निर्णय से अवगत कराते हैं। WDIC के इस निर्णय की आरबीआई परिपत्र के तहत गठित WDRC द्वारा समीक्षा/पुष्टि की जानी है, जिसमें कार्यकारी निदेशक एवं 2 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक शामिल होंगे। WDRC उधारकर्ता फर्म मेसर्स आर के ट्रेडिंग कंपनी एवं उसके पार्टनर श्री राज कुमार लोधी आर के ट्रेडिंग कंपनी एवं उसके भागीदार श्री राज कुमार लोधी, श्रीमती सीमा लोधी, यदि इस निर्णय से व्यथित हैं, तो वे इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर बैंक की विलफुल डिफॉल्टर समीक्षा समिति (WDRC) के समक्ष लिखित रूप में व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अपना प्रतिनिधित्व/अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई प्रतिनिधित्व/व्यक्तिगत सुनवाई के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि आप व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का लाभ उठाने में रुचि नहीं रखते हैं या यदि WDRC आपके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या लिखित रूप में किए गए प्रतिनिधित्व/प्रस्तुति से संतुष्ट नहीं है (जैसा भी मामला हो), तो बैंक का WDRC आपको विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा एवं WDRC द्वारा इस तरह के वर्गीकरण पर, आपकी तस्वीर प्रकाशित की जाएगी एवं आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आपका नाम विलफुल डिफॉल्टर के रूप में आरबीआई, सीआईबीआईएल एवं अन्य क्रेडिट सूचना कंपनियों को सूचित किया जाएगा एवं बैंक लागू कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। **यह सूचना बैंक की विलफुल डिफॉल्टर पहचान समिति के अनुमोदन से जारी किया गया है।**

मुख्य प्रबंधक
दबावग्रस्त आस्ति प्रबन्धन शाखा
विलफुल डिफॉल्टर स्क्रीनिंग कमेटी (WDSC) के लिए